

उत्तर मध्य रेल

पत्रांक— मेड/आ0छा10/मान्यता/अल्ट्रासाउण्ड/21
दिनांक— 24.03.2021

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा

अभिरुचि की अभिव्यक्ति


स्वास्थ्य केन्द्र/मथुरा में बहिःस्रोतों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड जाँच सेवाएं प्रदान करने हेतु
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, आगरा अल्ट्रासाउण्ड जाँच से सम्बन्धित योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना डायग्नोस्टिक सेन्टर चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक (एनएबीएल एवं नॉन-एनएबीएल) संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं -

1. रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली डायग्नोस्टिक सेन्टर का आवश्यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला - मथुरा द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. डायग्नोस्टिक सेन्टर की सेवाएं सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो दो वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी।
3. यदि डायग्नोस्टिक सेन्टर का पहले वर्ष का कार्य सन्तोषजनक रहा तो ही अगले विस्तार हेतु विचार किया जायेगा तथा इस दौरान सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
4. रेलवे रोगियों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/मथुरा द्वारा किए गये हस्ताक्षर उपरान्त रैफर पत्र के साथ आपके पास जाँच हेतु भेजा जायेगा।
5. अधिकृत रेल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
6. भुगतान की पद्धति सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा बिल बेस सिस्टम पर किया जायेगा।
7. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद द्वारा Arbitration Act (26) 1996 की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की दशा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। असहमति की दशा में प्रकरण जिला न्यायालय, आगरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
8. नामांकन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेरठ द्वारा सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की रेट लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, एक सील बन्द लिफाफा के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0म0रे0, आगरा छज़वनी (उ0प्र0) 282001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा करें।
9. नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेन्टर को प्राथमिकता दी जायेगी।

(नोट: जो भी उपरोक्त सभी सेवायें दे सकते हैं वे ही आवेदन करें)।


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा